

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुझुनुं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरुण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 191/2026

श्री महेन्द्र ढाका, पता ढाणी खारिया की, वीपीओ छापोली, तहसील उदयपुरवाटी, पिन कोड 333302, मो०न० 9588256402

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 20.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 191/2026 पर दिनांक 29.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1336-37 दिनांक 30.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक सू०अ०अ०/26/87 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री महेन्द्र ढाका पुत्र श्री भागीरथमल ढाका, निवासी ढाणी सोकडाली के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 348859389694187 प्रस्तुत करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी के पत्रांक सू०अ०अ०/2026/03 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा इस कार्यालय को अन्तरित किया गया। अपीलार्थी का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 29.04.2026 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में वर्णित सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सू०अ०अ०/26/72 दिनांक 01.05.2026 के द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु दिनांक 14.05.2026 को उपस्थित हुए। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के मुकदमा संख्या 18/2022 की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिलवाये जाने का निवेदन किया।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी ने पत्रांक सू०अ०अ०/26/87 दिनांक 13.05.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री महेन्द्र ढाका पुत्र श्री भागीरथमल ढाका, निवासी ढाणी सोकडाली के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन आवेदन संख्या 348859389694187 प्रस्तुत करने पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी के पत्रांक सू०अ०अ०/2026/03 दिनांक 28.04.2026 के द्वारा उनके कार्यालय को अन्तरित किया गया। अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 29.04.2026 को प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र में वर्णित सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक सू०अ०अ०/26/72 दिनांक 01.05.2026 के द्वारा निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवा दी गई थी। अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के मुकदमा संख्या 18/2022 की प्रमाणित प्रति हेतु निवेदन किया है। इस संबंध अपीलार्थी न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी के यहां नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) उदयपुरवाटी को निर्देशित किया जाता है अपीलार्थी द्वारा आवेदन करने पर उसे उक्त पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई जावें। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ० अरुण गर्ग)
जिला कलेक्टर, झुझुनुं